

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर

क्रमांक :-संपदा/बोली/धर्मशाला/2024/1612

दिनांक :-20.06.2024

ई-बोली सूचना वर्ष 04/2024-25

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान धर्मशाला/विश्रांतिग्रह को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने की प्रक्रिया में समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/कम्पनी से राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री राजरतनबिहारी जी एवं रसिक शिरोमणि जी के पीछे, के ई एम रोड, बीकानेर को लीज पर देने हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत बोली दरें आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र. सं.	धर्मशाला/विश्रांतिग्रह का स्थान व अन्य विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य) (रूपये में)	बोली शुल्क (रूपये में)	बोली प्रतिभूति ड्राफ्ट(रूपयों में)	ई-बोली प्रक्रिया शुल्क रु. में
1	2	3	4	5	6
1	देवदर्शन धर्मशाला (विश्रामग्रह) राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री राजरतनबिहारी जी एवं रसिक शिरोमणि जी के पीछे, के ई एम रोड, बीकानेर, कुल क्षेत्रफल 8620 वर्गफुट, (2 वी आई पी रूम, 16 साधारण रूम, एक डोरमेट्री 16 बेड की)	9,60,000 वार्षिक	2000	19200	500
बिड संख्या UBN NO.					
बोली दस्तावेज बिक्री की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि		दिनांक 20.06.2024 प्रातः 10:00 से दिनांक 03.07.2024 सांय 06:00 तक बोली प्रस्तुत करने की विधि (Online at Eproc website)			
प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज ई-प्रोक साईट पर ऑनलाईन जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय		दिनांक 20.06.2024 प्रातः 10:00 से दिनांक 03.07.2024 सांय 06:00 तक			
प्री.बेड मीटिंग की दिनांक समय व स्थान		दिनांक 01.07.2024 दोपहर 12:00 बजे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर			
बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति, प्रोसेसिंग फीस के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय		दिनांक 20.06.2024 से दिनांक 04.07.2024 समय सुबह 11 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर			
तकनिकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय व स्थान		दिनांक 04.07.2024 दोपहर 01:00 बजे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान बीकानेर			
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान		दिनांक 05.07.2024 दोपहर 12:00 बजे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान बीकानेर			

(गौरव सोनी)

सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
बीकानेर

RajKaj Ref
8202542



कार्य :- राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री राजरतनबिहारी जी एवं रसिक शिरोमणि जी के पीछे, के ई एम रोड, बीकानेर को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरूप लीज पर देने हेतु ऑनलाइन ई-निविदा :-

ई-निविदा की शर्तें -

1. यह निविदा वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devsthan.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर द्वि-भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रॉनिक फारमेट के माध्यम से ही ऑनलाईन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड एवं निविदा दर प्रस्तावित किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र वेबसाइट [http:// www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक डाउनलोड/अपलोड करवाया जा सकता है एवं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट [http:// www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड किये गए प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकी बिड निर्धारित दिनांक एवं समय तक डाउनलोड/अपलोड की जासकेगी। तकनीकी बिड के मुल्यांकन में योग्य पाये गये व्यवसायियों/फर्मों की वित्तीय बिड खोलने के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी।
3. आयुक्तालय में उपापन समिति की बैठक दिनांक 02.01.2024 में लिये गये निर्णयानुसार वित्त विभाग के परिपत्र की पालना में ई-निविदा प्रक्रिया में निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस राशि को ऑनलाईन रूप से जमा कराया जाना है। अतः निविदादाता द्वारा निविदा प्रक्रिया के समस्त शुल्क ऑनलाईन रूप से जमा कराये जाने अनिवार्य है। कार्यालय में ऑफलाईन रूप से निविदा संबंधी कोई भी दस्तावेज निविदादाता द्वारा जमा नहीं कराया जायेगा।
4. निविदा शुल्क व धरोहर राशि को "सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर" के नाम से तथा प्रक्रिया शुल्क राशि को "मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर" के पक्ष में ऑनलाईन रूप से निविदादाता द्वारा जमा करवाई जायेगी।
5. नवीन धर्मशाला नीति - 2021 के तहत बिन्दु संख्या 5 (1) के अनुसार बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर संपदा के रिजर्व प्राईस का 10 गुणा होना अनिवार्य है। निविदादाता को इस बाबत आवश्यक दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने होंगे।
6. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के पास सुरक्षित है।
7. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर धरोहर राशि जब्ति/शास्ति एवं आगामी बोली से वंचित/अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अन्य आवश्यक निर्देश इस प्रकार हैं:-
(अ) विश्रामगृह संचालन में रुचि रखने वाले एव ई-बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों/कम्पनियों को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रॉनिक बोली में

लॉग-ईन/साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी.सी.ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है उन्हें नया डिजिटल सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ब) बोलीदाताओं को ई-बोली प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट (शुल्क, तकनीकी, वित्तीय आदि) में वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा बोली अमान्य होगी। कोई भी ई-बोली प्रस्ताव भौतिक रूप में स्वीकार नहीं होगा।

(स) इलैक्ट्रॉनिक ई-बोली प्रपत्र को अपलोड कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षर युक्त स्कैन प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है। यथा शुल्क की फोटोप्रतियां, पहचान पत्र, पेन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, गत तीन वर्ष का टर्नओवर विगत तीन वर्षों का आई. टी. आर. सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बैलेंस शीट अन्य वांछित दस्तावेज एवं शुल्क के डी डी इत्यादि।

(द) निर्धारित दिनांक तक कोई बोलीदाता निविदा दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिकली अपलोड कराने में किसी कारण से असफल/देरी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।

(र) ई-बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन किया जावे।

9. उक्त ई-बोली में GF&AR, RTPP Act 2012 & Rules 2013, देवस्थान धर्मशाला नीति 2021 एवं समय-समय पर जारी अन्य विभागीय नियम व निर्देश कानून स्वतः लागू होंगे।

हस्ताक्षर मय सील बोलीदाता

देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं को लीज अनुबंध पर संचालन करने हेतु राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री राजरतनबिहारी जी एवं रसिक शिरोमणि जी के पीछे, के ई एम रोड, बीकानेर स्थित देवदर्शन विश्रामगृह को लीज अनुबंध पर आमंत्रित की जाने वाली ई-बोली की शर्तें एवं प्रारूप :-

1. **देवस्थान विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री राजरतनबिहारी जी एवं रसिक शिरोमणि जी के पीछे, के ई एम रोड, बीकानेर स्थित देवदर्शन विश्रामगृह, को 15 वर्ष के लिए लीज पर संचालन हेतु दिये जाने बाबत ई-बोली आमंत्रित की जा रही है।**
2. **लीज राशि का भुगतान :-**विभागीय धर्मशाला नीति 2021 के अन्तर्गत स्वीकृत ई-बोली राशि के अनुसार 5 प्रतिशत धरोहर राशि सफल संवेदक को उसी समय जमा की जायेगी। सफल बोली दाता को वार्षिक लीज राशि की 5 प्रतिशत धरोहर राशि ई-बोली के साथ प्रस्तुत अमानत राशि को शामिल करते हुए, जमा करवानी होगी। तथा तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम रूप से देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रूप देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। लीज राशि अग्रिमरूप से समय पर जमा नहीं करने पर संबंधित सहायक आयुक्त, संबंधित लीजधारक को नोटिस जारी करेगा, इस पर भी राशि जमा नहीं करने पर लीज समाप्ति बाबत अपनी अनुशंसा आयुक्त को भेजेगा आयुक्त लीज धारक का पक्ष सुनकर यदि राशि जमा नहीं होती है तो लीज समाप्त कर सकेगा। उदाहरणार्थ अगर वार्षिक लीज राशि 12000 है और लीज अवधि प्रारम्भ होने का माह जनवरी है तो 3000 अग्रिम लीज निविदा स्वीकृत राशि अमानत के रूप में जमा करवानी होगी तथा जनवरी से मार्च की राशि 3000 अग्रिम जमा होगी इसके बाद अप्रैल से जून तीन माह की लीज राशि 10 मार्च तक जमा करवानी होगी। आगामी अवधि में उक्त गणना अनुसार राशि जमा करवानी होगी। समय पर राशि जमा नहीं करवाये जाने पर GF&AR प्रावधानानुसार ब्याज वसूलनीय होगा।
3. **लीज राशि में वृद्धि :-** अनुमोदित वार्षिक लीज राशि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। लीज अनुमोदन के 10 वर्ष उपरांत इस 50 प्रतिशत बढ़ोतरी को मूल लीज राशि में जोड़ा जायेगा तथा 11 वे वर्ष से इस जुड़ी हुई राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि होगी। एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से अग्रिम बोली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के विद्यमान प्रावधान अनुसार वार्षिक किराये में 5 प्रतिशत किराये में वृद्धि के प्रावधान को मार्गदर्शक मानते हुए वर्तमान लीज धारक द्वारा देय राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि मानते हुए आगामी लीज प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान लीज धारक को संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।
4. **धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधान :-**
 1. संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को सभलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी

स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव-ऑफ किया जा सकेगा। लीज धारक द्वारा यदि संपदा का मूल्य संवर्धन किया जाता है तो उस पर विभाग का अधिकार रहेगा जिसके लिए लीज धारक को कोई मूल्य विभाग द्वारा नहीं चुकाया जावेगा।

2. अनुबंधकर्ता को संपदा के साइन बोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर ' राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री राजरतनबिहारी जी एवं रसिक शिरोमणि जी स्थित देवदर्शन विश्रामगृह, बीकानेर राजस्थान सरकार की संपदा' लिखना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा। अनुबंधकर्ता द्वारा धर्मशाला का कोई भी सारवान भाग Sublet नहीं किया जा सकेगा/न ही किसी को भविष्य में सहयोगी बनाया जा सकेगा अन्यथा लीज निरस्त की जा सकेगी।
3. अनुबंधकर्ता संपदा के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की अनुमति से ही करायेगा, इसके लिये सहायक आयुक्त के मार्फत आयुक्त को व्यक्तिशः आवेदन करना होगा। सहायक आयुक्त आवेदन का अधिकतम 15 दिवस में आयुक्तालय प्रेषित करेगा। आवेदन करने के 60 दिवस में अनुमति मिलने/नही मिलने की दशा में स्वतः अनुमति मानी जायेगी किन्तु स्वतः अनुमति तभी प्रभावी होगी जब इसकी सूचना लीजधारक 60 दिवस की समाप्ति पर सहायक आयुक्त को दे देगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी एवं मरम्मत अनुबंधकर्ता स्वयं के व्यय पर करा सकेगा। अनुबंधकर्ता को संपदा की समुचित साफ-सफाई के साथ-साथ परिसर में वृक्षारोपण /गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रुफ वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।
4. अनुबंधकर्ता को संपदा में निम्न सुविधायें रखनी आवश्यकता होंगी :-

- रिसेप्शन काउंटर उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
- शिकायत/ फीडबैक पुस्तिका
- शिकायत/ फीडबैक पेटिका
- कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/ सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रूप में)

5. (अ) वार्षिक लीज राशि में वृद्धि – अनुमोदित वार्षिक लीज राशि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी । लीज अनुमोदन के 10 वर्ष उपरांत इस 50 प्रतिशत बढ़ोतरी को मूल लीज राशि में जोड़ा जायेगा तथा 11 वे वर्ष से इस जुड़ी हुई राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि होगी।

(ब) अधिकतम किराया विवरण – अनुबंधकर्ता द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती है तो वह इस हेतु स्वयं के स्तर पर दर न रखकर विभाग से अनुमोदित दर ही रखेगा।

विभाग द्वारा अधिकतम तय किराया निम्नानुसार है –

		प्रथम 5 वर्ष तक	5 वर्ष उपरान्त (10 वर्ष तक)	10 वर्ष उपरान्त
A	डोरमेट्री	150/- प्रतिदिन	200/- प्रतिदिन	250/- प्रतिदिन
B	सामान्य रुम	500/- प्रतिदिन	625/- प्रतिदिन	750/- प्रतिदिन
C	वीआईपी रुम/डिलक्स/सुपर डिलक्स	4000/- प्रतिदिन	5000/- प्रतिदिन	6000/- प्रतिदिन

यदि शासकीय नियमानुसार कोई कर देय है तो वह इसमें जोड़ा जा सकेगा।

उक्त प्रभार डबल रूम का होगा। अतिरिक्त बेड का 25 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज होगा।

(स).लीज राशि विलम्ब से जमा कराने पर सामान्य वित्त व लेखों नियमों के प्रावधानानुसार ब्याज वसूलनीय होगा।

6. राज्य सरकार के आदेश धर्मशाला नीति 2021 में संशोधन आदेश क्रमांक एफ2(9)देव/2013 जयपुर दिनांक 08.05.2023 द्वारा एक लाख से अधिक राशि वार्षिक मूल्य की धर्मशाला को लीज पर दिये जाने की सक्षमता राज्य सरकार में निहित है।

7. प्रत्येक रुकने वाले यात्री को निम्नलिखित सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगी :-

- प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
 - ब्लैंकेट या रजाई
 - एक बड़ा तौलिया और दो छोटे तौलिए
 - बाथरूम सोप
 - बाथरूम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट-रंग)
- उक्त के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त सामग्री निःशुल्क सामग्री प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

8. अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर धर्मशाला में निवास करने वालों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा। संपदा में यदि मंदिर/देवरा आदि है तो धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे, मांस, मदिरा आदि का व्यवसाय परिसर में नहीं करेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा लीज परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं दिया जावेगा।

9. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा सम्पदा में रख सकेगा, जिसे अनुबंधकर्ता को बिना बाधा के सहजदृश्य रूप में लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा में दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता है, जिसकी राशि केवल देवस्थान विभाग की होगी। इसके लिए विभाग अपनी अलग प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

10. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस-पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा लीज पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित अनुबंध (बाध्य) होगा।

11. राज्य सरकार या नगर पालिका/ नगर विकास प्रन्यास अन्य किसी विभाग/संस्था द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो

अनुबंधकर्ता को लीज राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा। बोली के उपरान्त किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता के मध्य नियमानुसार कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। बिजली, पानी के बिल का भुगतान भी अनुबंधकर्ता को करना होगा तथा लीज अवधि पूर्ण होने पर बकाया नहीं का प्रमाण-पत्र पेश करने पर ही प्रतिभूति राशि लौटाई जायेगी।

12. संपदा में बोली के उपरान्त किसी अन्य व्यक्तियों को उप अनुबंधकर्ता/सबलेट नहीं करेगा। यदि अनुबंधकर्ता ने शर्तों की अवहेलना की तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से कर दी जाएगी।

5. बोली की शर्तें :-

1. **बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक स्थिति :-**बोलीदाता को बोली के समय अन्य विभागीय सूचना के साथ-साथ आवश्यक रूप से अपना आधार नम्बर, पैन नम्बर, बैंक खाता विवरण, पत्र व्यवहार का पता, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. देना होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर उस संपदा की रिजर्व प्राइस के 10 गुना के बराबर होना आवश्यक होगा। यदि किसी कारण से बोली लगाने हेतु कोई बोलीदाता नहीं आता है, तो यह राशि घटायी जा सकेगी। लीज की राशि की सुरक्षित वसूली के क्रम में बोलीदाता से पिछले तीन वर्ष की आयकर का रिटर्न एवं सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बैलेन्स शीट की प्रतियां तथा नियमानुसार गारंटी लिया जाना प्रस्तावित है। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म बोली लगाती है, तो बोली लगाते समय बोलीदाता को पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पेश करनी होगी, अन्यथा बोली नहीं लगा सकेगा।
2. संपदा (विश्रामग्रह) की बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि (संपदा की स्थिति अनुसार) जमा कराना होगा। इस हेतु बोली से पूर्व नियमानुसार अनुमोदित राशि का 2 प्रतिशत अमानत राशि जमा की जायेगी। बोली हेतु असफल रहने पर नियमानुसार राशि वापस की जाएगी। स्वीकृत बोली दाता को अमानत राशि के अतिरिक्त धरोहर राशि स्वीकृत वार्षिक लीज राशि के 5 प्रतिशत के बराबर (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) जमा करानी होगी जो अवधि पूर्ण होने पर अदेयता प्रमाण-पत्र पेश करने पर लौटाई जा सकेगी।
3. जिस व्यक्ति के नाम बोली स्वीकृत होगी, उसको 3 माह की अग्रिम राशि तीन दिवस में जमा करवानी होगी, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. अधिकतम बोली को स्वीकृत करने अथवा नहीं करने का अधिकार **आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर** को होगा एक लाख से अधिक की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत राज्य सरकार स्तर से की जावेगी। प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में बोलीदाता को अमानत राशि लौटा दी जाएगी, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. अधिकतम बोलीदाता के नाम संपदा नि **आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर** राशि पर देने की स्वीकृति होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जाएगा कि वह आकर संपदा का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम बोलीदाता द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो

उसके द्वारा सूचित मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई डी पर सूचना प्रेषित करते हुए पत्र संपदा पर चस्पा कर दी जाएगी। कब्जा पत्र सम्पदा पर चस्पा करने पर नोटीस ई-बोलीदाता को तामील होना माना जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, फिर भी पत्र में वर्णित अवधि में संपदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि वह संपदा लीज पर नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गई तीन माह की अग्रिम राशि जब्त करके संपदा की पुनः ई-बोली की कार्यवाही की जावेगी।

6. संपदा लीज पर देने की सक्षम स्वीकृति की सूचना के पश्चात् अधिकतम बोलीदाता को 15 दिवस के भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करने पर अधिकतम बोलीदाता के रूप में उसका हक समाप्त हो जाएगा तथा उसकी धरोहर व अग्रिम जमा राशि जब्त हो जाएगी एवं विभाग नई बोली कर सकेगा अथवा संपदा का उपयोग अन्य विकल्प के रूप में कर सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही संपदा का कब्जा दिया जावेगा। अनुबंध पत्र का पंजीयन अधिकतम बोलीदाता को स्वयं के खर्चे से कराना होगा।
7. अनुबंधकर्ता को उक्त लीज राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित कर (जीएसटी या अन्य राजकीय शुल्क इत्यादि) का भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें किसी देयता का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।
8. देवस्थान विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के लिए विभागीय कार्य संपदान हेतु 2(1VIP+1 सामान्य) कमरे निःशुल्क में आरक्षित रखे जायेंगे।
9. अनुबंधकर्ता को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते में ऑनलाईन अथवा चैक रूप में अथवा विशेष रूप में निर्दिष्ट किये जाने पर मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान के यहाँ नकद/चालान द्वारा अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा बकाया पर GF&AR के प्रावधान अनुसार ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।
10. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा इसके बिल का भी स्वयं ही भुगतान करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे राशि वसूली के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे वसूली के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
11. यदि बोलीदाता निर्धारित समय पर संपदा खाली नहीं करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते हुये उसमें हुई क्षति की वसूली हेतु उसके विरुद्ध विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
12. यदि संपदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान में परिवर्तन के कारण बोली अवधि में संचालन में प्रतिबंध लागू होता है तो या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में राज्य सरकार परिसम्पत्ति रिक्त करवाना चाहती है तो देवस्थान विभाग द्वारा बोली/लीज अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और यदि अनुबंध कर्ता द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो वह बिना ब्याज के वापस दी जाएगी।

उक्त कार्यवाही पर निविदादाता/बोलीदाता किसी प्रकार का दावा करने या क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

13. यदि विभाग की अनुमति के पश्चात भी अगर नगर निकाय या राज्य सरकार द्वारा नियमों के व्यतिक्रम के कारण आपत्ति व्यक्त की गई, तो इस संबंध में सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटिके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. अनुबंध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंधकर्ता लीजधारक के विरुद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा **राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1964** के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।
15. अनुबंध लीज की अवधि में अनुबंधकर्ता लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके विधिक वारिसान द्वारा धर्मशाला का संचालन किया जा सकेगा तथा उनके इच्छुक नहीं होने पर विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु बकाया किराया, कर, शुल्क इत्यादि हेतु विधिक वारिसान उत्तरदायी होगा किन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी लीजधारक/ विधिक वारिसान को आगे सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
16. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व खाली करना चाहेगा, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह विज्ञप्ति संबंधी व्यय का वहन करने की राशि जमा कराते हुए खाली करने के न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक को यह सुविधा एक वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।
17. देवस्थान विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथाआवश्यक अनुबंध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही की जा सकेगी।
18. आकस्मिक कार्यो यथा बाढ राहत, चुनाव, महामारी आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलेक्टर अथवा देवस्थान विभाग द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहीत किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा, परन्तु अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया, उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष/देवस्थान विभाग प्राप्त नहीं करेगा।
19. अनुबंध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प-रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व अनुबंधकर्ता लीजधारक का होगा।
20. आयुक्त, देवस्थान विभाग आवश्यकतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्यधीन बोली की शर्तें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से जोड़/हटा सकते हैं।
21. लीज अनुबंध पत्र :-निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत लीज डीड अनुबंध-पत्र अथवा एम. ओ.यू निष्पादित करने हेतु वांछनीय अनुबंधका पत्र-2 संलग्न है।

देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं/ विश्रामगृहों के संचालन हेतु

अनुबन्ध-पत्र

यह लीज अनुबंध आज दिनांक को राजस्थान सरकार की ओर से आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (जिसे आगे चलकर इस लीजडीड में प्रथम पक्षकार मालिक के नाम से संबोधित किया गया है)

बहक

नाम —.....
 पिता श्री —.....
 जाति —.....
 जन्म तिथि —.....
 उम्र—.....वर्ष.....
 पैन नम्बर —.....
 आधार नम्बर —.....
 मोबाईल न. —.....
 ई-मेल आई. डी. —.....
 निवासी —.....
 तहसील —.....
 जिला —.....राज्य—..... पिनकोड—.....
 पार्टनरशिप फर्म द्वारा बोली लगाने की स्थिति में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड —
 संस्था का टिन नम्बर (आवश्यक होने पर) —

(जिसे आगे चलकर इस अनुबन्ध पत्र में द्वितीय पक्षकार/ अनुबंधकर्ता लीजधारक के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्न प्रकार से निष्पादित किया जाता है, जिसमें लीज एवं अनुबंध की शर्तें निम्न प्रकार हैं, जिसके लिए दोनों पाबंद रहेंगे।

- यह कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ एवं नियंत्रित निम्न सम्पदा के निविदा आधारित संचालन के लिए, यह अनुबंध द्वितीय पक्षकार (लीज धारक) एवं प्रथम पक्षकार (मालिक) के मध्य किया जाता है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-

1	धर्मशाला नाम	
2	स्थान	
3	मंदिर, जिसके अन्तर्गत धर्मशाला है।	
4	तहसील	
5	जिला	
6	धर्मशाला की चतुर्सीमा (पडोस) निम्न प्रकार	
	पूर्व	

RajKaj Ref
8202542

	पश्चिम	
	उत्तर	
	दक्षिण	
7	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल फ्लोर एरिया	वर्ग फीट
8	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल बिल्ट अप एरिया	वर्ग फीट
9	निर्मित भाग का विवरण	
10	(1) कुल मंजिलें भू-तल सहित	
	(2) कुल कमरे	
	(3) अन्य विवरण	
11	संचालन हेतु संभलाई गई अन्य सामग्री,	

2. यह कि प्रथम पक्षकार देवस्थान विभाग द्वारा द्वितीय पक्ष अनुबंधकर्ता लीजधारक को देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दरों पर यात्रियों को अस्थाई रूप से ठहरने के लिए उपर्युक्त वर्णित धर्मशाला निम्नानुसार अवधि एवं दर पर संचालन हेतु दी जा रही है:-

- (1) संचालन अवधि 15 वर्ष अनुबंध की दिनांक से
- (2) वार्षिक देय राशि -
- (3) त्रैमासिक देय राशि -
- (4) अधिकतम किराया -
- (i) साधारण रुम -
- (ii) डोरमेट्री -
- (iii) वी.आई.पी.

Note

- (क) VIP रुम से तात्पर्य उस कक्ष में ए.सी. सुविधा के साथ अटैच्ड टॉयलेट व टीवी सुविधा तथा बेहतर व्यवस्था का होना आवश्यक होगा। किसी कक्ष को इस रूप में घोषित करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारी अथवा समिति द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होगा।
- (ख) बोलीदाता/अनुबंधकर्ता लीजधारक उक्त निर्धारित किराये में सीजन के हिसाब से स्वयं के स्तर पर दरों में कटौती कर सकने हेतु अधिकृत होगा। उदाहरणार्थ वह विशेषतः ऑफ सीजन में कम दर रखकर ऑक्यूपेंसी बढ़ा सकता है।
- (ग) देवस्थान विभाग प्रति बोली वर्ष में दरों का पुर्ननिर्धारण कर सकेंगा।
- (घ) अनुबंध में दी गई सम्पदा के रिक्त स्थान अथवा परिसर का प्रयोग विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु अनुबन्धदाता स्वयं द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर कर सकेगा, जिसके लिए वह यथावश्यक नगरीय निकाय या पंचायती राज के नियमों की पालना करेगा।

3. **लीज राशि का देय होना:-** प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रूप से देय होगी। निर्धारित राशि देय

होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। समय पर राशि जमा नहीं करवाये जाने पर GF&AR प्रावधानुसार ब्याज वसूलनीय होगा।

4. **लीज राशि में वृद्धि :-** अनुमोदित वार्षिक लीज राशि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। लीज अनुमोदन के 10 वर्ष उपरांत इस 50 प्रतिशत बढ़ोतरी को मूल लीज राशि में जोड़ा जायेगा तथा 11 वे वर्ष से इस जुड़ी हुई राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि होगी। एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से अग्रिम बोली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के विद्यमान प्रावधान अनुसार वार्षिक किराये में 5 प्रतिशत किराये में वृद्धि के प्रावधान को मार्गदर्शक मानते हुए वर्तमान लीज धारक द्वारा देय राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि मानते हुए आगामी लीज प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान लीज धारक को संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।

5. **धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधान:-**

1. संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी। विभाग किसी भी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को संभलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक् से सूची बनायी जा सकेंगी, जिसे वेव-ऑफ किया जा सकेंगा।
2. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा के साइन बोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर **देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार** की संपदा लिखना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।
3. अनुबंधकर्ता संपदा के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की अनुमति से ही करायेगा इसके लिये सहायक आयुक्त के मार्फत आयुक्त को आवेदन करना होगा आवेदन करने के 60 दिवस में अनुमति मिलने/नहीं मिलने की दशा में स्वतः अनुमति मानी जायेगी किन्तु स्वतः अनुमति तभी प्रभावी होगी जब इसकी सूचना लीजधारक 60 दिवस की समाप्ति पर सहायक आयुक्त को दे देगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी एवं मरम्मत अनुबंधकर्ता स्वयं के व्यय पर करा सकेगा। अनुबंधकर्ता को संपदा की समुचित साफ-सफाई के साथ-साथ परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रुफ वाटर/रेन वाटर

हार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।

4. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा में निम्न चीजें रखनी आवश्यक होंगी—

- स्वागत पटल (Reception Counters) उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
- शिकायत/फीडबैक पुस्तिका
- शिकायत/फीडबैक पेटिका
- कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रूप में)

5. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती हैं तो, वह इस हेतु स्वयं के स्तर पर दर न रखकर, विभाग से अनुमोदित दर पर ही प्रदान की जायेगी। एक्सट्रा बेड के लिए कमरे के किराए का (25 प्रतिशत) एक चौथाई वसूल किया जा सकेगा। डोरमेटरी हेतु एक्सट्रा बेड का कोई प्रावधान नहीं होगा। विभाग द्वारा अधिकतम तय किराया निम्नानुसार हैं तथा यदि शासकीय नियमानुसार कोई कर देय है तो वह इसमें जोड़ा जा सकेगा।

	प्रथम 5 वर्ष तक	5 वर्ष उपरान्त (10 वर्ष तक)	10 वर्ष उपरान्त
डोरमेट्री	150 /— प्रतिदिन	200 /— प्रतिदिन	250 /— प्रतिदिन
सामान्य रुम	500 /— प्रतिदिन	625 /— प्रतिदिन	750 /— प्रतिदिन
वीआईपी रुम/डीलक्स/सुपर डीलक्स	4000 /— प्रतिदिन	5000 /— प्रतिदिन	6000 /— प्रतिदिन

6. प्रत्येक रुकने वाले यात्री को निम्न रूप में सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगी:—

- प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
- ब्लेंकेट या रजाई
- एक बड़ा तौलिया और दो छोटे तौलिए
- बाथरूम सोप
- बाथरूम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट-रंग)
- उक्त के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त सामग्री निःशुल्क प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

7. अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के स्तर पर धर्मशाला में निवास करने वालों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा। संपदा में धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे मांस, मदिरा, अण्डा आदि का व्यवसाय नहीं करेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं दिया जायेगा।

Kaj Ref
8202542

8. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा संपदा में रख सकेगा। जिसे अनुबंधकर्ता लीजधारक को बिना बाधा के सदृश्य रूप में लगाना होगा।

आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा में दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता है, जिसकी राशि केवल देवस्थान विभाग की होगी। इसके लिए विभाग अपनी अलग प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

9. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस-पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता लीजधारक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार या आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित अनुबंधकर्ता लीजधारक अनुबंधित (बाध्य) होगा।
10. राज्य सरकार या नगर पालिका नगर विकास प्रन्यास द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो अनुबंधकर्ता लीजधारक को लीज राशि के अतिरिक्त उक्त राशि का स्वयं भुगतान करना होगा। बोली के उपरांत किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता लीजधारक के मध्य नियमानुसार कोई समझौता किया जा सकेगा।
11. संपदा में अनुबंध के उपरांत लीज धारक किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप अनुबंधकर्ता नहीं रखेगा। यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक ने शर्तों की अवहेलना की, तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी।
12. अनुबंधकर्ता लीजधारक को उक्त लीज राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित कर, शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें किसी त्रुटि/बकाया देयता का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।
13. अनुबंधकर्ता लीजधारक को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते में ऑनलाईन अथवा चैक के रूप में अथवा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जाने पर नकद राशि के रूप में मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान के यहाँ अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा GF&AR के प्रावधान अनुसार ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।
14. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा इनके बिल का भी स्वयं ही भुगतान करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे राशि वसूली के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के

दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया तो भी राशि वसूली के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेंगी।

15. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक/बोलीदाता निर्धारित समय पर संपदा खाली नहीं करता हैं या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता हैं या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता हैं तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते में उसके विरुद्ध विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
16. यदि संपदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान में परिवर्तन के कारण बोली अवधि में, संचालन में प्रतिबंध लागू होता हैं या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार परिसम्पत्ति रिक्त करवाना चाहे तो, देवस्थान विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकेंगा और यदि लीज धारक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो, वह बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। इस प्रावधान के तहत समय पूर्व अनुबन्ध समाप्त करने पर संविदाकार किसी भी प्रकार का दावा करने या क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।
17. विभाग की अनुमति के पश्चात् भी यदि नगर निकाय या राज्य सरकार द्वारा नियमों के व्यतिक्रम के कारण आपत्ति व्यक्त की गई, तो इस संबंध में संपदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. अनुबन्ध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का लीज धारक द्वारा उल्लंघन करने पर लीज धारक के विरुद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।
19. अनुबन्ध लीज की अवधि में अनुबंधकर्ता लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक वारिसान संचालन किया जा सकेगा तथा उनके इच्छुक नहीं होने पर विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु बकाया किराया, कर, शुल्क इत्यादि हेतु विधिक वारिसान उत्तरदायी होगा किन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी लीजधारक/ विधिक वारिसान को आगे सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
20. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व खाली करना चाहेगा, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि यह विज्ञप्ति संबंधी व्यय का वहन करने की राशि जमा कराते हुए खाली करने की न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना देवस्थान विभाग के संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए

समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक को यह सुविधा 1 वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

21. देवस्थान विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेंगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथाआवश्यक अनुबंध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही साथ-साथ की जा सकेंगी।
22. आकस्मिक कार्यो यथा बाढ राहत, चुनाव, महामारी आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलेक्टर/देवस्थान विभाग द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहित किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया, उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष (मालिक) द्वारा प्राप्त नहीं की जावेंगी।
23. इस अनुबंध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प-रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व लीज धारक का होगा।
24. लीज धारक उक्त वर्णित शर्तों में निहित प्रावधानों की पालना के लिए आबद्ध और वचनबद्ध है। उक्तानुसार यह अनुबंध पत्र लीज धारक एवं मालिक ने स्वस्थचित्त, स्थिर बुद्धि से होश हवास में लिखा गया है, जो अभिलेख के रूप में मान्य एवं उभय पक्ष को बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षर

(राजस्थान सरकार, देवस्थान विभाग
विभाग की ओर से अधिकृत अधिकारी)

हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता
(द्वितीय पक्षकार लीज धारक)

(1) साक्षी :

(1) साक्षी :

(2) साक्षी :

(2) साक्षी :

स्थान :—.....

दिनांक :—.....

**RajKaj Ref
8202542**

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर

क्रमांक :- संपदा/बोली/धर्मशाला/2024/1612

दिनांक :-20.06.2024

ई-बोली सूचना वर्ष 04/2024-25

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान धर्मशाला/विश्रांतिगृह को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने की प्रक्रिया में समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/कम्पनी से राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री राजरतनबिहारी जी एवं रसिक शिरोमणि जी के पीछे स्थित देवदर्शन विश्रामगृह, के ई एम रोड, बीकानेर को लीज पर देने हेतु वार्षिक अनुमानित राशि 9,60,000/- (अक्षरे नौ लाख साठ हजार रुपये) के संदर्भ में ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी/बोली दर आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devasthan.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

इस हेतु प्री-बिड मीटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में 01.07.2024 को दोपहर 12:00 पर रखी गयी है।

(गौरव सोनी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
बीकानेर

क्रमांक :- एफ()संपदा/बोली/धर्मशाला/2024/

दिनांक:-

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग जयपुर।
3. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर
4. श्रीमान आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को निवेदन है कि उक्त धर्मशाला को लीज पर देने हेतु निविदा प्रक्रिया हेतु लेखाकर्म को मनोनीत करावे एवं निविदा/बिड प्रपत्र प्रभाषी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
5. श्रीमान जिला कलक्टर बीकानेर
6. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. श्रीमान कोषाधिकारी, बीकानेर।
8. श्रीमान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/ऋषभदेव/ कोटा/ वृन्दावन/हनुमानगढ़/जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय
9. सहायक अभियंता मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा व विभागीय धर्मशाला नोटीस बोर्ड।

(गौरव सोनी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
बीकानेर

RajKaj Ref
8202542

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर

क्रमांक :- संपदा/बोली/धर्मशाला/2024/1612

दिनांक :-20.06.2024

ई-बोली सूचना वर्ष 04/2024-25

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान धर्मशाला/विश्रांतिग्रह को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने की प्रक्रिया में समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/कम्पनी से राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री राजरतनबिहारी जी एवं रसिक शिरोमणि जी के पीछे स्थित देवदर्शन विश्रामगृह, के ई एम रोड, बीकानेर को लीज पर देने हेतु वार्षिक अनुमानित राशि 9,60,000/- (अक्षरे नौ लाख साठ हजार रुपये) के संदर्भ में ऑनलाइन ई-बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी/बोली दर आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devasthan.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

इस हेतु प्री-बिड मीटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में 01.07.2024 को दोपहर 12:00 पर रखी गयी है।

(गौरव सोनी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
बीकानेर

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर

क्रमांक :- संपदा/बोली/धर्मशाला./2024/

दिनांक :-

प्रबंधक,

दैनिक भास्कर कार्यालय,

जिला बीकानेर ।

विषय— बोली सूचना 04/2024 25 प्रकाशित करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न बोली सूचना संख्या 04/2024-25 को राज्य स्तरीय अंक में न्यूनतम स्थान पर डी आई पी आर द्वारा अनुमोदित दरों पर नियमानुसार प्रकाशित करावें।

संलग्न :- निविदा की प्रति — 3

(गौरव सोनी)
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
बीकानेर ।